न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 01 / 23 वर्ष 2023
जीसीएम संख्या :–2023 / 12

बउनवानीः–1. महावीर प्रसाद पुत्र बजरंगदास स्वामी निवासी जाजेडा हाल निवासी बासी तहसील नैनवा जिला बूंदी

बनाम

1. रूपनारायण पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल जाति मोची निवासी जाजेडा तह0 चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत रजवाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रजवाना

(निगरानी विरूद्व पटटा दिनांक 10.01.1996 बहक रूपनारायण पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल मोची ग्राम पंचायत रजवाना जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री रमेश चन्द गोयल — वकील प्रार्थी
2. श्री महेन्द्र वर्मा — वकील अप्रार्थी 1

–: निर्णय :– दिनांक :– 14.11.2024

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत रजवाना द्वारा जारी पटटा दिनांक 10.01.1996 बहक रूपनारायण पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल मोची निवासी जाजेडा के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित प्रस्ताव / पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया किन्तु मूल पत्रावली उपलब्ध नही होने की रिपोर्ट संबंधित ग्राम पंचायत से प्राप्त हुई है। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी पटटा विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि निगरानीकार की आराजी ख0न0 1160 रकबा 0.13है0 वाके ग्राम जाजेडा मे स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है लेकिन ग्राम पंचायत ने प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर पटटा जारी कर दिया जिसका अधिकार अदालत मातहत को नही है। यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 को पटटा दिये जाने से पूर्व प्रार्थी को सुनवायी हेतु कोई नोटिस नही दिया गया है तथा पटटा नम्बर व पत्रावली संख्या तक पटटे पर अंकित नही है ओर ना ही पटटे पर सीमाऐ अंकित है ओर ना ही पटटे की पत्रावली संधारित की गयी है। यह पटटा कोरम द्वारा जारी नही किया गया है मात्र अपने वोटो के खातिर स्वंय सरपंच ने ही पटटा जारी कर दिया है। उक्त पटटे पर सचिव के हस्ताक्षर नही है तथा उक्त भूमि पर कभी अप्रार्थी का कब्जा नही रहा इसके बावजूद भी निःशुल्क पटटा जारी कर दिया है इसलिए आदेश जैर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी द्वारा नीवं खोदकर निर्माण कार्य चालू करने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 3.6.2022 को पुलिस में रिपोर्ट की गयी तब अप्रार्थी ने उसके पास पंचायत का पटटा होने की जानकारी देने पर पटटे की ... हेतु सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नकल हेतु 6.9.2022 को प्रार्थना पत्र देने पर पंचायत द्वारा दिनांक 15.11.2022 को पटटा की छायाप्रति मय रिपोर्ट देने पर जानकारी से ... निगरानी ... की कर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:00:42 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(निगरानी संख्या 01/2023 उनवानी महावीर बनाम रूपनारायण वगै.)

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रथम तो निगरानीकार द्वारा यह निगरानी मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति चौथ का बरवाडा द्वारा अपने पत्रांक 1990–95 दिनांक 18.01.2023 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को भिजवायी गयी रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि ख0न0 1060 व 1061 का ग्राम पंचायत एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम वासियों की मोजूदगी में सीमाज्ञान कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गयी जिसके अनुसार अप्रार्थी नरेन्द्र पुत्र रूपनारायण निवासी जाजेडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत निर्माणाधीन आवास ख0न0 1161 किस्म गै0मु0 आबादी में अवस्थित है, महावीर पुत्र बजरंगदास स्वामी द्वारा की गयी शिकायत असत्य व निराधार है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।

वकील उभय पक्षों की और से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि विकास अधिकारी पंचायत समिति चौथ का बरवाडा की रिपोर्ट दिनांक 18.01.2023 से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्माण कार्य ख0न0 1160 मे नही होकर ख0न0 1161 की भूमि मे है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अप्रार्थी का मकान प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर ना होकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर स्थित है। अतः इस आधार पर पटटा खारिज किया जाना उचित नही होगा। जहाँ तक पटटे पर ग्राम सचिव के हस्ताक्षर न होना, ग्राम पंचायत मे पटटा पत्रावली उपलब्ध नही होना व पटटा फर्जी होने का प्रश्न, तो प्रार्थी को ऐसे पटटे को सक्षम न्यायालय यथा सिविल न्यायालय/क्रिमीनल कोर्ट मे चुनौती देना चाहिए। इस न्यायालय को केवल नियम विरूद्व अथवा विधिवत रूप से जारी नही किये गये पटटो को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त पटटा पत्रावली का ग्राम पंचायत मे उपलब्ध न होने के विषय में भी जॉच आवश्यक है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी पटटा दिनांक 10.01.1996 यथावत रखा जाता है। यदि प्रार्थी को उक्त पटटा फर्जी होने का अंदेशा है तो सक्षम न्यायालय मे उक्त पटटे को चुनौती दे सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:00:42 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner